105

# अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

'राजस्थान सरकार का उपक्रम'

क्र: अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्र. No 1144 दिनांक : 25 MAY 2006

## आदेश—12-6.

किसानों को राहत देने एवं कृषि कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जो कि आदेश क्रमांक अविविनिलि/प्र.नि./अ.अ. (योजना)/प्र. 4651 दिनांक 12.12.2005 द्वारा जारी की गई में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसमें निहित कुछ बिन्दुओं में बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुये दिनांक 20 व 24 अप्रैल 2006 को आयोजित 93वीं बैठक में संशोधित निर्णय निम्नानुसार लिये गयेः–

| बिन्दु सं. | वर्तमान प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1.6 | अधीक्षण अभियन्ता आगामी तीन माह में उपलब्ध होने वाले सामान के आधार पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता को सामान्य एवं अन्य कृषि श्रेणियों के मांग पत्र की संख्या सूचित कर, मांग पत्र जारी करने हेतु निर्देश जारी करेगें। | अधीक्षण अभियन्ता आगामी तीन माह में उपलब्ध होने वाले सामान के आधार पर प्रत्येक सहायक अभियन्ता को लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के अनुरूप सामान का आवंटन करेगें तथा उसी के अनुसार सामान्य व अन्य कृषि श्रेणियों के मांग पत्र जारी करने की संख्या निर्धारित कर निर्देश देगें। |
| 4.3 | यह स्वीकृति से पूर्व दिनांक/माहवार प्राथमिकता क्रम को सुनिश्चित करें। | सहायक अभियन्ता तकमीना स्वीकृत करने से पूर्व उपखण्डवार प्राथमिकता क्रम को सुनिश्चित करेगें। |
| 5.1 | उपभोक्ता जब सहायक अभियन्ता कार्यालय में 'एल फार्म' प्रस्तुत करें तो 10 रू. जमा करके 'एल फार्म' प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाये। सहायक अभियन्ता कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु 'एल फार्म' प्राप्ति का पूरा रिकार्ड रखा जाये। | आवेदक जब सहायक अभियन्ता कार्यालय मे 'एल फार्म' प्रस्तुत करें तो 10 रू. जमा करके 'एल फार्म' प्राप्ति की रसीद आवेदक को दी जाये। सहायक अभियन्ता कार्यालय में कृषि कनेक्शन हेतु 'एल फार्म' प्राप्ति का पूरा रिकार्ड रखा जावे। सहायक अभियन्ता जब भी कार्यालय में उपलब्ध न हो तब कनिष्ट अभियन्ता या सहायक राजस्व अधिकारी 'एल फार्म' के पेटे 10/–रू. जमा करवाने हेतु जमा कराने के आदेश देने के लिये अधिकृत किये जाते है। |
| 6.2 | सहायक अभियन्ता द्वारा समस्त श्रेणियों के मांग पत्र जमा एवं 'एल फार्म' प्राप्त होने की तिथि के अनुसार जो कृषि कनेक्शन पूर्व स्थापित सब–स्टेशन से सीधी एल.टी. लाईन डालकर जारी किये जा सकते हो, ऐसे कनेक्शनों को नये ट्रांसफार्मर के स्थापित होने पर जारी होने वाले कनेक्शनों पर वरीयता (ओवर राइडिंग प्रायरिटी) दी जा कर कनेक्शन के कार्य आदेश जारी किये जायेगें। | इस प्रावधान को हटाया जाता है। |

| | | |
|---|---|---|
| 6.3 | इसी प्रकार सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने की क्रमवार सूची भी सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी तथा इसकी प्रति संबंधित अधिशाषी अभियन्ता व क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावे। | सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने की क्रमवार सूची भी सूचना पट्ट पर लगाई जावेगी तथा इसकी प्रति संबंधित अधिशाषी अभियन्ता व क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जावे। सहायक अभियन्ता क्रमवार सूची के क्रम के अनुसार ही लगने वाले सामान को जारी करेगा। |
| 8.3 | प्रायः यह देखने में आया है कि वृत के सहायक भण्डार नियन्त्रक से प्राप्त सामान का इन्द्राज उपखण्ड के स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया जाता है तथा सामान को सीधे ही आवेदक व कनिष्ट अभियन्ता को जारी कर दिया जाता है। इस प्रथा को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावे तथा रजिस्टर में बिना इन्द्राज के कोई भी सामान जारी नहीं किया जावें। | प्रायः यह देखने में आया है कि वृत के सहायक भण्डार नियन्त्रक से प्राप्त सामान का इन्द्राज उपखण्ड के स्टॉक रजिस्टर में नहीं किया जाता है तथा सामान को सीधे ही आवेदक व कनिष्ट अभियन्ता को जारी कर दिया जाता है। इस प्रथा को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावे तथा रजिस्टर में बिना इन्द्राज के कोई भी सामान जारी नहीं किया जावे। जिन कृषि आवेदकों को कनेक्शन हेतु क्रमवार सामान जारी कर दिया गया हो, उनकी सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगाई जावे। |

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगें।

(दिनेश कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. मुख्य अभियन्ता (पवस / वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
2. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स. / झु.स.) अ.वि.वि.नि.लि., उदयपुर / झुंझुनू।
3. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. उप शासन सचिव ऊर्जा, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक 10(1)ई / 05 दि. 3 मार्च 06 के संदर्भ मे।
6. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
7. अधीक्षण अभियन्ता ( ), अ.वि.वि.नि.लि., ———————।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
9. प्रावेधिक—सहायक, अध्यक्ष, अजमेर डिस्कॉम, विद्युत भवन, जयपुर।
10. प्रावेधिक—सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपरु।
11. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व / आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ————।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
14. निजी सचिव—माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के सूचनार्थ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)